



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092021-229952
CG-DL-E-25092021-229952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3632]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 2021/ आश्विन 03, 1943

No. 3632]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 2021/ASVINA 03, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2021

सं. 32/2015-2020

विषय: अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021 और अधिसूचना सं. 23/2015-2020 दिनांक 03.09.2021 के क्रम में आयात के पत्तनों को शामिल करना।

का.आ. 3966(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं. 23/2015-20 दिनांक 03.09.2021 और अधिसूचना सं. 25/2015-20 दिनांक 13.09.2021 के साथ पठित अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021 के पैरा 3 के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करती है:

ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं में यथावर्णित मौजूदा (5) पत्तनों के अतिरिक्त निम्नलिखित (2) पत्तनों को शामिल किया जाता है—

i. घोजाडांगा (आईएनजीजेएक्सबी)

ii. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (आईएनसीसीयू1)

2. अधिसूचना सं. 23/2015-20 दिनांक 03.09.2021 और अधिसूचना सं. 25/2015-20 दिनांक 13.09.2021 के साथ पठित अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021 के तहत यथाअधिदिष्ट अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

अधिसूचना का प्रभाव: अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत आयात को अनुमत करने के लिए घोजाडांगा (आईएनजीजेएक्सबी) और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (आईएनसीसीयू1) के पत्तनों को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. एम-5012 / 300 / 2002 / पीसी-2(ए) / पार्ट-VIII / ई-29098]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2021

No. 32/2015-2020

Subject: Inclusion of Ports of Import in continuation to Notification No. 20/20215-20 dated 24.08.2021 and Notification No. 23/2015-20 dated 03.09.2021.

S.O. 3966(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992 and paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the provision in Para 3 of Notification no. 20/2015-20 dated 24.08.2021 read with Notification No. 23/2015-20 dated 03.09.2021 and Notification No. 25/2015-20 dated 13.09.2021 as under:

The following (2) ports are included in addition to the existing (5) ports as stated in the Notifications mentioned above –

- i. Ghojadanga LCS (INGJXB)
- ii. Kolkata (INCCU1)

2. All other conditions as mandated under Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021 read with Notification No. 23/2015-20 dated 03.09.2021 and Notification No. 25/2015-20 dated 13.09.2021 shall continue to apply.

Effect of the Notification: The ports of Ghojadanga LCS (INGJXB) and Kolkata (INCCU1) have been additionally included for allowing imports under Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VIII/E-29098]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.